

नम
अहकाम
हुक्म की त
जारी हुए।

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट ग्रा. पं. देवास
व अलजाम श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

1. मोहनलाल दत्तक पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी गोविन्दपुरा तहसील
रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।

.....वादीगण

बनाम

1. देवकरण पुत्र घनश्याम
2. प्रतापसिंह पुत्र घनश्याम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी गोविन्दपुरा तहसील
रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा

मुकदमा नम्बर - 35/18 सन् 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.) व
हाजरी वादी स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 01 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया
जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी अन्तिम डिक्री की जाकर विवादित आराजी
खसरा नम्बर 231 रकबा 3.84 वाके ग्राम जालेउ तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर मे
मोहनलाल पुत्र घनश्याम के स्थान पर मोहनलाल दत्तक पुत्र बेगाराम दुरुस्त किया जाता है।
तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत X
खर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगेरह Xफीसदी सालाना आज की
तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11.06.2018 सन् 2018 को जारी किया
गया।

मोहर



दस्तख्त.....अधिकारी
ओहदा समगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	00	00	स्टाम्प वकालत नामा	00.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	00	00	मुतफरिक		
मीशान					